**पटना उच्च न्यायालय**

**लेटर्स पेटेंट अपील सं०-1032/2023**

**सिविल रिट सं० 7027/2023**

==========

मनोज कुमार गुप्ता, पिता- ओम प्रकाश गुप्ता निवासी- फ्लैट नंबर 601, शीला रेजीडेंसी, न्यू जक्कनपुर, थाना-जक्कनपुर, जिला पटना।

..... ..... अपीलार्थी/ओं

बनाम्

1. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से भारत संघ।
2. महानिदेशक, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (**C.I.S.F**), ब्लॉक 13, सी. जी. ओ. परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003।
3. अतिरिक्त महानिदेशक (मुख्यालय) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (**C.I.S.F**), ब्लॉक 13, **CGO** परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003।
4. महानिरीक्षक, पूर्वी सेक्टर **C.I.S.F** (मुख्यालय), रांची।
5. सहायक महानिरीक्षक (स्थापना) **C.I.S.F**. ब्लॉक-13 सी. जी. ओ. परिसर, नई दिल्ली।
6. उप महानिरीक्षक, पूर्वी क्षेत्र-1 बोरिंग रोड, पटना।
7. उप-महानिरीक्षक, ए. एस. जी. बेंगलूरू, कर्नाटक।

..... ..... उत्तरदाता/ओं

==========

सी.आई.एस.एफ अधिनियम-.15-अपीलार्थी द्वारा कब्जा किया गया पद हस्तांतरणीय है-अपीलार्थी का संवर्ग 13 वर्षों के लिए ओ. एच. एस. क्षेत्र में तैनात होने के लिए उत्तरदायी है-गृह क्षेत्र को सामान्य इकाई या स्टेशन में नियमित नियुक्ति के साथ रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन माना जाना चाहिए। (पैरा-4,5)

स्थानांतरण सेवा की एक घटना है-तत्काल हस्तांतरण दंडात्मक, दुर्भावनापूर्ण या बाहरी विचार से प्रेरित नहीं है-घरेलू क्षेत्र और घरेलू क्षेत्र के बाहर की नियुक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्राधिकरण द्वारा किया गया हस्तांतरण-निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। (पैरा-8)

**पटना उच्च न्यायालय**

**लेटर्स पेटेंट अपील सं०-1032/2023**

**सिविल रिट सं० 7027/2023**

==========

मनोज कुमार गुप्ता, पिता- ओम प्रकाश गुप्ता निवासी- फ्लैट नंबर 601, शीला रेजीडेंसी, न्यू जक्कनपुर, थाना-जक्कनपुर, जिला पटना।

..... ..... अपीलार्थी/ओं

बनाम्

1. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से भारत संघ।
2. महानिदेशक, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (**C.I.S.F**), ब्लॉक 13, सी. जी. ओ. परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003।
3. अतिरिक्त महानिदेशक (मुख्यालय) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (**C.I.S.F**), ब्लॉक 13, **CGO** परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003।
4. महानिरीक्षक, पूर्वी सेक्टर **C.I.S.F** (मुख्यालय), रांची।
5. सहायक महानिरीक्षक (स्थापना) **C.I.S.F**. ब्लॉक-13 सी. जी. ओ. परिसर, नई दिल्ली।
6. उप महानिरीक्षक, पूर्वी क्षेत्र-1 बोरिंग रोड, पटना।
7. उप-महानिरीक्षक, ए. एस. जी. बेंगलूरू, कर्नाटक।

..... ..... उत्तरदाता/ओं

==========

**रूपः**

| | | |
|---|---|---|
| अपीलार्थी/ओं के लिए | : | श्री मनोज कुमार, अधिवक्ता |
| प्रत्यर्थी/ओं के अधिवक्ता | : | डॉ. कृष्ण नंदन सिंह, एएसजी |
| | | श्री रेणुका शर्मा, सीजीसी |
| | | श्री प्राकृतिता शर्मा, जे.सी. से ए.एस.जी. |
| | | श्री श्रीराम कृष्ण, जे.सी. से ए.एस.जी. |

==========

**कोरमः माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय**

**और**

**माननीय श्री जस्टिस पार्थ सारथी**

**मौखिक निर्णय**

**(प्रतिः माननीय मुख्य न्यायाधीश)**

**तारीखः13-09-2023**

कानून में जो कहा गया है उसे दोहराया जाना चाहिए, भले ही वह स्पष्ट हो; ऐसा न हो कि हम प्रदत्त अधिकार क्षेत्र की सीमाओं से आगे निकल जाएं। स्थानांतरण, सेवा की एक घटना है और इसे केवल तभी चुनौती दी जा सकती है जब यह दुर्भावनापूर्ण हो, एक परोक्ष दंडात्मक कार्रवाई हो, जिसका आदेश देने वाला प्राधिकरण, जिसे ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई हो या पद गैर-हस्तांतरणीय है। उपरोक्त मामले में इनमें से कोई भी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती है और प्रत्यर्थी का बचाव बेहतर प्रशासन में से एक है; जिसके लिए एक कर्मचारी की करुणा या नरमी की दलीलों को झुकना पड़ता है।

2. विद्वत एकल न्यायाधीश के समक्ष अपीलार्थी ने अतिरिक्त महानिरीक्षक के हस्ताक्षर के तहत जारी अंतर-क्षेत्रीय स्थानांतरण को चुनौती दी। अपीलार्थी एक उप-निरीक्षक मंत्रिस्तरीय बल का गैर-राजपत्रित सदस्य होता है।

3. अपीलार्थी के अनुसार, अपीलार्थी को सात साल की आवश्यकता के विरुद्ध नौ साल और तीन महीने के लिए गृह क्षेत्र से बाहर (आउट आफ होम संक्षिप्त 'ओ. एच. एस.' के लिए) तैनात किया गया था। 2010 से 2016 तक, अपीलार्थी को पटना में पूर्वी क्षेत्र और पटना में समूह मुख्यालय में तैनात किया गया था। आई. डी. 1 से अप्रैल 2021 तक उन्होंने रांची में सेवा की और मई 2021 में उन्हें पूर्वी क्षेत्र, पटना में स्थानांतरित कर दिया गया। एक अंतर-क्षेत्र हस्तांतरण की प्रत्याशा में उन्होंने 15.11.2022 दिनांकित अभ्यावेदन दायर किया। पटना में बनाए रखने का उनका अनुरोध, उनकी पत्नी द्वारा इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, (आई. जी. आई. एम. एस.), पटना में किए गए उपचार के आधार पर था और इस उदाहरण में वे केवल एक वर्ष और छह महीने तक पटना में रहे थे। अभ्यावेदन को नजरअंदाज करते हुए, अपीलार्थी को स्थानांतरित कर दिया गया है और बेंगलुरु हवाई अड्डे पर तैनात कर दिया गया है, जिसके खिलाफ अनुलग्नक-4 अभ्यावेदन, जिसमें आरोप लगाया गया है कि स्थानांतरण समय से पहले है, वर्तमान

पोस्टिंग के स्थान पर तीन साल पूरे होने से पहले और अपने बेटे की शिक्षा का मुद्दा भी उठाया, जो कक्षा-9 में पढ़ रहा है। अपीलार्थी ने रिट याचिका दायर की, जिसके लंबित रहने पर, उनके अनुरोध को 04.05.2023 दिनांकित संचार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, जिसे एक पूरक हलफनामे के माध्यम से भी चुनौती दी गई थी।

4. प्रत्यर्थियों ने यह तर्क देने के लिए **C.I.S.F** अधिनियम की धारा 15 पर भरोसा किया कि अपीलार्थी द्वारा धारित पद हस्तांतरणीय है। यह भी तर्क दिया गया कि संतुलन बनाए रखने के लिए एक यूनिट/पलटन में घरेलू कर्मियों और घर से बाहर के कर्मियों का मिश्रण सुनिश्चित किया जाता है। अनुलग्नक-5 के रूप में प्रस्तुत 2022 के परिपत्र संख्या 22 द्वारा दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जो हमेशा सुरक्षा विचारों, रिक्तियों की उपलब्धता, नए समावेशन, प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के साथ-साथ सार्वजनिक हित के अधीन हैं।

5. अपीलार्थी संवर्ग का एक कर्मचारी प्रशिक्षण अवधि को छोड़कर कुल 13 वर्षों के लिए ओ. एच. एस. क्षेत्र में तैनात होने के लिए उत्तरदायी है। ओएचएस आवश्यकता को सात साल के पहले कार्यकाल और 6 साल के तीसरे कार्यकाल में विभाजित किया गया है। घरेलू क्षेत्र की नियुक्ति 12 साल के दूसरे कार्यकाल और सेवा की शेष अवधि में होती है। गृह क्षेत्र पर विचार सेक्टर/जोनल/ग्रुप में तीन साल के लिए एक सामान्य इकाई या स्टेशन में नियमित पोस्टिंग के साथ रिक्तियों की उपलब्धता, जिसे एक साल तक बढ़ाया जा सकता है। अपीलार्थी की चौबीस वर्ष और चार महीने की सेवा है जिसमें उन्होंने अपने गृह क्षेत्र में बारह वर्ष और छह महीने और ओ. एच. एस. में नौ वर्ष और तीन महीने बिताए। इसलिए उसे ओ. एच. एस. में कुल तेरह वर्षों की आवश्यकता को पूरा करना है।

6. यह भी तर्क दिया गया कि बेंगलुरु में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं और ओएचएस और घरेलू क्षेत्र की पोस्टिंग का संतुलन बनाए रखने के लिए फिर से कक्षा-9 में उनके बेटे की पढ़ाई पर विधिवत विचार किया गया है और उसे अस्वीकार कर दिया गया है।

7. विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया कि बल के भीतर कर्मियों का एक समान मिश्रण है, जिन्हें देश के सभी हिस्सों से भर्ती किया जाता है और प्रत्येक इकाई में उस क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों से प्राप्त कर्मियों का उचित वितरण होना चाहिए। खंड 10सी के अनुसार, परिपत्र के दिशा-निर्देश केवल नियुक्ति के लिए व्यापक मानदंड प्रदान करते हैं और मौजूदा विचार परिचालन और प्रशासनिक आवश्यकताओं पर होगा। विद्वान एकल

न्यायाधीश ने स्थानांतरण में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया, विशेष रूप से इस प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए कि स्थानांतरण सेवा की एक घटना है।

8. हम देखते हैं कि प्रारंभिक अनुच्छेद में जिन आधारों को दोहराया उनमें से कोई भी यहाँ उत्पन्न नहीं होता है। अपीलार्थी एक हस्तांतरणीय पद पर है और तत्काल स्थानांतरण दंडात्मक, दुर्भावनापूर्ण या किसी भी बाहरी विचार से प्रेरित नहीं है। अपीलार्थी का स्थानांतरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, वह भी गृह क्षेत्र और गृह क्षेत्र के बाहर की नियुक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। नियोक्ता, एक अनुशासित बल, पूरे देश में अपनी प्रत्येक इकाई में कर्मियों के एक समान मिश्रण से भी संबंधित है, विशेष रूप से जब कर्मियों को देश के भीतर विभिन्न क्षेत्रों से नियुक्त किया जाता है। यह स्थान के बारे में संवेदनशीलता सुनिश्चित करता है और सुरक्षा चिंताओं को दूर करने और सुरक्षा बल के कर्मियों द्वारा संचालित विभिन्न संवेदनशील और सुरक्षित स्थानों में सटीक मानकों को लागू करने में निष्पक्षता भी सुनिश्चित करता है।

9. हम विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं।

10. अपीलार्थी के वकील लगातार करुणा का आग्रह कर रहे थे, जिसे सक्रिय न्यायिक आदेशों द्वारा त्वरित नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी ने प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क किया था, जिन्होंने उसके मामले पर विचार किया और पाया कि यह बल की प्रशासनिक आवश्यकताओं को पार करने या दरकिनार करने के योग्य नहीं है। हम ऐसे प्रशासनिक आदेशों के निर्णय में नहीं बैठ सकते हैं, विशेष रूप से जब परिस्थिति ने इशारा किया हो।

बयान में कहा गया है कि यह इतना बाध्यकारी नहीं है कि एक समझदार व्यक्ति को हैरान कर दे, जिससे वह प्रशासनिक अनिवार्यता को पार करने और उससे आगे निकलने के लिए प्रेरित हो।

11. लेटर्स पेटेंट अपील खारिज कर दी जाती है।

**(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)**

**(पार्थ सारथी, न्यायामूर्ति)**

आदित्य/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।